भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *379

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना

379 श्री अब्दुल वहाब :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना की कमी के संबंध में सरकार को पत्र लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना के संवर्धनार्थ विगत पाँच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित रिक्तियों के बारे में कोई अध्ययन कराया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार आँकड़े क्या हैं ; और

(ङ) क्या सरकार अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ड.) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

<u>राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं0 *379, जिसका उत्तर 07.04.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।</u>

(क) से (ग) : माननीय उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसरंचना और न्यायालय सुख-सुविधाओं की प्रास्थिति पर आंकड़ा संकलित किया है, जिसके अंतर्गत शौचालयों की कमी और वकीलों तथा वादकारियों के लिए प्रतीक्षालय भी हैं । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से न्यायालयों के लिए पर्याप्त अवसंरचना का प्रबंध करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार एक शासी निकाय होगा जिसके भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, संरक्षक के रुप में होंगे । प्रस्ताव की अन्य विशेषताएं यह हैं कि एनजेआईएआई, सभी उच्च न्यायालयों के अधीन समान संरचनाओं के अतिरिक्त, भारतीय न्याय प्रणाली हेतु योजना बनाने, सृजन, विकास, अनुरक्षण और कार्यात्मक अवसंरचना व्यवस्था के लिए रोड़मैप अधिकथित करने के लिए केंद्रीय निकाय के रुप में कार्य करेगा । यह प्रस्ताव, विभिन्न राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रस्ताव की रुपरेखा पर उनके विचारों के लिए भेजा गया है, क्योंकि वे महत्वपूर्ण पणधारी हैं, जिससे विषय पर विचारित दृष्टिकोण लिया जा सके।

न्यायपालिका के लिए न्यायिक प्रसुविधाओं के विकास की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों में निहित है । राज्य सरकारों के संसाधनों का संवर्धन करने हेतु, संघ सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों में विहित निधि सांझा पैटर्न द्वारा वित्तीय सहायता का उपबंध करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रुप से प्रायोजित एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है । यह स्कीम 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । आज की तारीख तक, केंद्रीय सरकार ने इस स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 9,009 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं जिसमें से वर्ष 2014-15 से 5,565 करोड़ रुपए जारी किए हैं जो कि इस स्कीम के अधीन कुल जारी रकम का लगभग 61.77% है । इस स्कीम के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के लिए आवासिक आवास और न्यायालय भवनों के सन्निर्माण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निधियां जारी की जाती हैं । इस स्कीम के अधीन, 5 वर्षों के दौरान राज्यों को जारी की गई निधियों की प्रास्थिति **उपाबंध-1** पर है ।

इस स्कीम का समय-समय पर विस्तार किया गया है । यह स्कीम, पहले 2017 में 3 वर्ष के लिए, 1.4.2017 से 31.3.2020 तक 3,320 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ बढ़ाई गई थी । यह स्कीम, पुन: एक वर्ष के लिए अर्थात् 31.3.2021 तक, बढ़ाई गई। इस स्कीम का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा किया गया था जिसने इसे जारी रखने की सिफारिश की थी । सरकार ने अब 5 वर्ष की

अवधि के लिए 1.4.2021 से 31.3.2026 तक के लिए, 9,000 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ, जिसके अंतर्गत 5,307 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा भी है, इस सीएसएस को जारी रखने का अनुमोदन किया है । इस स्कीम के संघटकों का विस्तार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में जिला हॉलों और आवासिक इकाइयों (4,500 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त, शौचालयों के सन्निर्माण (47 करोड़ रुपए), डिजिटल कंप्यूटर कक्षों (60 करोड़ रुपए) और वकीलों के लिए हॉल (700 करोड़ रुपए), के संनिर्माण को भी सम्मिलित करने के लिए किया गया है ।

उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31.3.2022 तक, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 24,521 स्वीकृत न्यायाधीश पदों के लिए 19,341 न्यायाधीश कार्यरत हैं, वर्तमान में 20,812 न्यायालय हॉल (जिसके अंतर्गत 578 किराए पर लिए गए भी हैं) और 18,338 आवासिक इकाइयां उपलब्ध हैं । तथापि, 2767 न्यायालय हॉल और 1651 आवासिक इकाइयां सन्निर्माणाधीन हैं । अत:, यह देखा जाए कि वर्तमान में उपलब्ध न्यायालय हॉल, वर्तमान में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की पद संख्या से अधिक है किंतु स्वीकृत न्यायिक अधिकारियों की पद संख्या से कम है ।

(घ) और (ड.) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण, संबद्ध उच्च न्यायालयों के साथ राज्यों में निहित होता है । इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षणों और सेवानिवृत्ति से संबंधित मुद्दों पर नियम और विनियम बनाती है । इस प्रकार, जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, कतिपय राज्यों में इसे संबंधित उच्च न्यायालय करते हैं जबकि अन्य राज्यों में इसे उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से करते हैं । संघ सरकार की जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में संविधान के अधीन कोई भूमिका नहीं है । जिला और निचले जिला / अधीनस्थ(तहसील/ताल्लुका) स्तर पर नए न्यायालयों की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संबद्ध उच्च न्यायालय के परामर्श से उनकी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार की जाती है । केंद्रीय सरकार की इस विषय में कोई भूमिका नहीं है ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की कॉडर पद संख्या 2014 में 19,518 से बढ़कर अप्रैल, 2022 में 24,521 हो गई है । विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों की रिक्ति प्रास्थिति **उपाबंध-2** पर है ।

****

उपाबंध-1

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *379 जिसका उत्तर तारीख 7 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

विगत 5 वर्षों के दौरान न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के लिए सीएसएस स्कीम के अधीन जारी की गई निधि (रु. लाख में)

क्र.सं	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	संपूर्ण
1	आंध्र प्रदेश	0.00	1000.00	2000.00	1028.00		**4028.00**
2	बिहार	4290.00	6204.00	8762.00	6572.00		**25828.00**
3	छत्तीसगढ	0.00	1968.00	1983.00	784.00		**4735.00**
4	गोवा	0.00	315.00	406.00	380.00	320.00	**1421.00**
5	गुजरात	5000.00	1502.00	1649.00	1350.40		**9501.40**
6	हरियाणा	1500.00	1191.00	1406.00	2200.00		**6297.00**
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	408.00	572.00	550.00		**1530.00**
8	जम्मू - कश्मीर	1000.00	1901.00	1000.00	0.00		**3901.00**
9	झारखंड	5000.00	959.00	1374.00	905.00	600.00	**8838.00**
10	कर्नाटक	5000.00	3812.00	4404.00	2972.00	2700.00	**18888.00**
1 1	केरल	2500.00	3082.00	1582.00	1300.00	5000.00	**13464.00**
12	मध्य प्रदेश	5000.00	7942.00	6690.00	4560.00	5500.00	**29692.00**
13	महाराष्ट्र	5000.00	1058.00	6109.00	2311.00	1800.00	**16278.00**
14	ओडिशा	0.00	2250.00	3569.00	0.00		**5819.00**
15	पंजाब	5000.00	2647.00	3978.00	1647.60	1650.00	**14922.60**
16	राजस्थान	1734.00	1741.00	6421.00	2990.00	4150.00	**17036.00**
17	तमिलनाडु	0.00	609.00	3871.00	1817.00	3566.00	**9863.00**
18	तेलंगाना	0.00	1000.00	565.00	1600.00		**3165.00**
19	उत्तराखंड	2500.00	2202.00	2850.00	586.00	8000.00	**16138.00**
20	उत्तर प्रदेश	7500.00	12806.00	16966.00	11100.00	21900.00	**70272.00**
21	पश्चिमी बंगाल	1734.00	3522.00	6143.00	3107.00		**14506.00**
	कुल (क)	**52758.00**	**58119.00**	**82300.00**	**47760.00**	**55186.00**	**240937.00**
	पूर्वोत्तर						
1	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	269.00	500.00	409.00	**1178.00**
2	असम	2000.00	3209.00	3654.00	2500.00	2740.00	**14103.00**
3	मणिपुर	0.00	887.00	966.00	500.00		**2353.00**
4	मेघालय	863.00	1482.00	2285.00	771.00	2802.00	**8203.00**
5	मिजोरम	2000.00	594.00	524.00	500.00	950.00	**4568.00**
6	नागालैंड	2000.00	321.00	342.00	500.00	1327.00	**4490.00**
7	सिक्किम	0.00	257.00	278.00	295.00		**830.00**
8	त्रिपुरा	0.00	0.00	1882.00	774.00		**2656.00**
	कुल (ख)	**6863.00**	**6750.00**	**10200.00**	**6340.00**	**8228.00**	**30153.00**
	संघ राज्यक्षेत्र						
1	अंदमान और निकोबार	0.00	131.00	16.79	35.36	0.00	**183.15**
2	चंडीगढ	0.00	0.00	0.00	0.00		**0.00**
3	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00		**0.00**
4	दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00		**0.00**
5	दिल्ली	2500.00		4852.21	4500.00	3000.00	**14852.21**
6	लक्षदीव	0.00	0.00	0.00	0.00		**0.00**
7	पुडुचेरी	0.00	0.00	331.00	0.00		**331.00**
8	जम्मू - कश्मीर	0.00	0.00	500.00	664.64	2000.00	**3164.64**
9	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00		**0.00**
	कुल (ग)	**2500.00**	**131.00**	**5700.00**	**5200.00**	**5000.00**	**13331.00**
	कुल योग (क+ख+ग)	**62121.00**	**65000.00**	**98200.00**	**59300.00**	**68414.00**	**353035.00**

उपाबंध-2

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *379 जिसका उत्तर तारीख 7 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है, के भाग (घ) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल रिक्तियां
1	अण्डमान और निकोबार	0	13	-13
2	आंध्र प्रदेश	607	487	120
3	अरुणाचल प्रदेश	41	32	9
4	असम	467	436	31
5	बिहार	1954	1385	569
6	चंडीगढ़	30	30	0
7	छत्तीसगढ	482	407	75
8	दादरा और नागर हवेली	3	2	1
9	दमण और दीव	4	4	0
10	दिल्ली	884	686	198
11	गोवा	50	40	10
12	गुजरात	1523	1176	347
13	हरियाणा	772	477	295
14	हिमाचल प्रदेश	175	161	14
15	जम्मू-कश्मीर	300	240	60
16	झारखंड़	675	517	158
17	कर्नाटक	1363	1082	281
18	केरल	569	487	82
19	लद्दाख	17	9	8
20	लक्षदीव	3	3	0
21	मध्य प्रदेश	2021	1545	476
22	महाराष्ट्र	2190	1940	250
23	मणिपुर	59	46	13
24	मेघालय	99	51	48
25	मिजोरम	65	41	24
26	नागालैंड	34	24	10
27	ओड़िशा	977	781	196
28	पुडुचेरी	26	1 1	15
29	पंजाब	692	606	86
30	राजस्थान	1549	1272	277
31	सिक्किम	28	20	8
32	तमिलनाडु	1319	1080	239
33	तेलंगाना	474	424	50
34	त्रिपुरा	122	108	14
35	उत्तर प्रदेश	3634	2528	1106
36	उत्तराखंड	299	272	27
37	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96
कुल		**24521**	**19341**	**5180**

****